

कार्यालय, कलेक्टर जिला खंडवा एवं समुचित सरकार, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक/भू-अर्जन/2017/एल.ए./119/ 703
प्रति,

खंडवा, दिनांक 22/08/2017

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय:- भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्राम विजोरामाफी के भू-अर्जन प्रकरण में जारी धारा-19 अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन विषयक।

— 0 —

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्र.कं. 8/अ-82/2016-17, ग्राम विजोरामाफी में लोक निर्माण विभाग हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु निजी भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला खंडवा द्वारा हस्ताक्षरित प्रारंभिक अधिसूचना की दो प्रतियां मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की गई थी।

अतः कृपया अधिसूचना का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- 02 प्रतियाँ



(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)

खंडवा, दिनांक 22/08/2017

पृष्ठांक क्रमांक/भू-अर्जन/2017/एल.ए./119/704
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचनालय म0प्र0 की ओर अधिसूचना की चार प्रतियाँ संलग्न कर इस क्षेत्र में पढे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित कर लेख है कि समाचार पत्रों की दो प्रतियाँ अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा जिला खंडवा एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा की ओर दो प्रति में सूचनार्थ एवं उनके सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।
- 4- नायब तहसीलदार, मूंदी, की ओर 06 प्रतियाँ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना फलक, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित।
- 5- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा की ओर सूचनार्थ।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा किए जाने हेतु प्रेषित।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग,
जिला खंडवा (म.प्र.)

कार्यालय, कलेक्टर जिला खण्डवा, एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक / 117/2017/एलए/
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक /अ-82/16-17

नस्ती क्रमांक 117/2017 एलए
खण्डवा, दिनांक 22/08/2017

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अनिधायम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल

खंडवा
पुनासा
बिजोरामाफी
1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि
+ 0.620 हैक्टे.आवासीय भूमि

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा			सार्वजनिक प्रयोजन
				कुल	सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रघुवीर पिता अमरसिंह	10/3	1.60	0.09	0.09	0.00	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	इंदरसिंह पिता गजराजसिंह	11/3	1.96	0.04	0.04	0.00	
3	गुलाबसिंह पिता रामाजी	15/1 16/1	1.64 1.32	0.44	0.44	0.00	
4	अमानसिंह पिता सुभान	222/1	0.94	0.02	0.02	0.00	
5	भीमसिंह पिता अमानसिंह	222/3	1.000	0.01	0.01	0.00	
6	सीताराम पिता नैवसिंह	222/2	0.20	0.03	0.00	0.03	
7	जगन्नाथ पिता रामा	223/1	0.70	0.05	0.05	0.00	
8	बाबू पिता रामा	240/2	0.65	0.02	0.00	0.02	
9	श्रीराम पिता फत्तूलाल	240/1	0.66	0.03	0.03	0.00	
10	मानसिंह, रामसिंह पिता बोंदरसिंह, लीलाबाई वि० बोंदरसिंह	241/1	2.000	0.130	0.130	0.00	

11	मनसिंह , रामसिंह पिता बोंदर सुशीलाबाई, उषाबाई पुत्री बोंदरसिंह, लीलाबाई पुत्री बोंदरसिंह	241/2	0.490	0.040	0.040	0.000
12	कमलसिंह पिता गेंदसिंह	247/1	0.360	0.040	0.000	0.040
13	राधेश्याम पिता सोमाजी	247/2	0.370	0.040	0.000	0.040
14	हरलाल पिता दौला	248/2	1.400	0.040	0.040	0.000
15	सुखदेव पिता दौला	248/3	1.400	0.010	0.010	0.000
16	कैलाश पिता जलाल	265/1	2.210	0.030	0.000	0.030
17	मांग्या पिता मोहबबत	265/2	1.110	0.080	0.000	0.080
18	रामप्रसाद पिता मोहन	266/1	0.420	0.090	0.000	0.090
19	नारायण पिता रामप्रसाद	266/2	0.420	0.050	0.050	0.000
20	सुरेन्द्र पिता रामप्रसाद	266/3	0.420	0.030	0.030	0.000
21	बलीराम पिता रामप्रसाद	266/4	0.420	0.030	0.030	0.000
22	पन्नालाल पिता रामप्रसाद	266/5	0.420	0.020	0.020	0.000

आवासीय भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल व जानकारी :-

अ.क्र.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित अर्जित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
1	भवरबाईपति दातारसिंह	217	0.710	0.010	कार्यपालन यंत्री लोक. निर्माण विभाग खंडवा द्वारा हनुमंतिया से बांगरदा पहुच मार्ग व्हाया धारकवाडी, गुलगांव, जामकोटा, जलकुआ बांगरदा लंबाई 16.20 कि.मी. के निर्माण हेतु
2	रुघनाथ पिता नारायण	217	0.710	0.010	
3	ईश्वर पिता गजराज	217	0.710	0.010	
4	नरेन्द्र पिता इबरसिंह	217	0.710	0.010	
5	सरदार पिता प्यारसिंह	217	0.710	0.010	
6	निलाबाई वि बोंदर	218	0.870	0.010	
7	अर्जुन पिता अनोपसिंह	279	0.870	0.010	
8	बबलू पिता अर्जुनसिंह	279	0.870	0.010	
9	सुरेन्द्र पिता गिरवर	279	0.870	0.010	
10	हरनाथ पिता कमल	279	0.870	0.010	
11	प्रभात पिता कालू	279	0.870	0.010	
12	मानसिंह पिता बोंदर	278	2.500	0.010	
13	कैलाश पिता रायसिंह	278	2.500	0.010	

14	श्रीकिशनपिता फूलसिंह	278	2.500	0.010
15	हरसिंह पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
16	शंकर पिता मोहनसिंह	278	2.500	0.010
17	गोविंद पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
18	दरियाव पिता रायसिंह	278	2.500	0.010
19	ओम पिता इंदरसिंह	278	2.500	0.010
20	कमलसिंहपिता गेंदसिंह	277/1	1.800	0.010
21	रामदासपिता कमलसिंह	277/1	1.800	0.010
22	कमल पिता भंगू	277/1	1.800	0.010
23	सुकलू पिता ज़बराव	277/1	1.800	0.010
24	रिक्त शासकीय प्लाट	277/1	1.800	0.010
25	राधेश्याम पिता सोमाजी	277/1	1.800	0.010
26	सौदान पिता अनारसिंह	277/1	1.800	0.010
27	छीतर पिता सोमाजी	277/2	2.000	0.010
28	रमेश पिता रामलाल	277/2	2.000	0.010
29	बंडू पिता राजाराम	277/2	2.000	0.010
30	प्रकाश पिता अमान	277/2	2.000	0.010
31	जालम पिता टेकचंद	277/2	2.000	0.010
32	लक्ष्मीबाई पति बिहारी	277/2	2.000	0.010
33	देवसिंह	277/2	2.000	0.010
34	गरीबा पिता रामसिंह	277/2	2.000	0.010
35	तुमेर पिता सुखदेव	269	5.430	0.010
36	प्रेमसिंह पिता नरसिंह	269	5.430	0.010
37	अनिताबाई पति कन्हैया	269	5.430	0.010
38	प्यारसिंह पिता रायसिंह	269	5.430	0.010
39	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
40	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
41	नगीन पिता नरसिंह	269	5.430	0.010
42	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
43	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
44	दलीप पिता रामसिंह	269	5.430	0.010
45	श्यामा पिता सुभान	269	5.430	0.010

46	भीमसिंह पिता तेजु	269	5.430	0.010
47	नरेन्द्र पिता मंगलु	269	5.430	0.010
48	उमेनसिंह पिता चैनसिंह	269	5.430	0.010
49	भीपसिंह पिता शिवनाथ	269	5.430	0.010
50	दगडू पिता डाबरसिंह	269	5.430	0.010
51	दुर्गाबाई पति कैलाश	269	5.430	0.010
52	पेमा पिता सुभान	269	5.430	0.010
53	रायसिंह पिता रूपसिंह	269	5.430	0.010
54	विमल पिता देवराम	269	5.430	0.010
55	रिक्त प्लाट	269	5.430	0.010
56	बनारसीबाई पति मोती	269	5.430	0.010
57	भूपेन्द्र पिता कमल	269	5.430	0.010
58	शांता बाई पति रायसिंह	269	5.430	0.010
59	दिनेश पिता सखाराम	269	5.430	0.010
60	धमेन्द्र पिता मंगू	269	5.430	0.010
61	नहारु	269	5.430	0.010
62	गोविंद पिता मोहन	269	5.430	0.010
कुलकृषक-22 कृषि भूमि आवासीय- 62		कृषि भूमि का कुल प्रस्तावित रकबा- 1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित- 1.03 है. असिंचित- 0.330 हैक्टेयर आवासीय भूमि का कुल प्रस्तावित रकबा - 0.620 हैक्ट. आवासीय		

- नोट :- 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग,

जिला खण्डवा (म0प्र0)